



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1964]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 5, 2016/श्रावण 14, 1938

No. 1964]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 5, 2016/SRAVANA 14, 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2016

का.आ. 2635(अ).— निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने का इच्छुक है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा ।

प्रारूप अधिसूचना

भद्रा वन्यजीव अभयारण्य, कर्नाटक राज्य के चिकमगलूर जिले के चिकमगलूर, तारीकेरे और नरसिम्हा राजापुुरा ताल्लुकों और शिवामोगा जिले के शिवामोगा तथा भद्रावती ताल्लुकों में स्थित है और अक्षांश 13° 22' से 13° 47' उ, 75° 29' से 75° 45' पू देशांतर और बाबाबुदानगिरि खंड 13° 30' से 13° 33' उ अक्षांश और 75° 44' से 75° 47' पू देशांतर तक स्थित है ;

और, भद्रा वन्यजीव अभयारण्य सेट्टीहल्ली वन्यजीव अभयारण्य के समीप्य है और 500.16 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है जिसके अंतर्गत भद्रा जलाशय के पश्च जल का 87 वर्ग किलोमीटर सम्मिलित है ;

और, अभयारण्य को कर्नाटक सरकार की अधिसूचना सं. एफईई-299 एफडल्यूएल 2007, तारीख 20 दिसंबर, 2007 द्वारा बाघ रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है ;

और, बाघ रिजर्व विभिन्न प्रकार के वनों से मिलकर बना है जिनके अंतर्गत शुष्क और आर्द्र पतझड़ी और अर्द्ध सदाबहार वन तथा अभयारण्य की सीमाओं के भीतर केम्मानगुंदी क्षेत्र में शोला चारागाह वनस्पति भी हैं ;

और, बाघ रिजर्व में 42 स्तनधारी प्रजातियों का संभरण है जिसमें बाघ, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, रीछ, हाथी, गौर, सांभर, पिसूरी, सूरज भगत और अन्य सम्मिलित है ;

और, बाघ रिजर्व में लगभग 264 पक्षियों की प्रजातियों का भी संभरण है जैसे मालाबार पाइड धनेश, ग्रेट पाइड धनेश, मालाबार ग्रे धनेश जो पश्चिमी घाटों में स्थानिक है और अन्य प्रजातियाँ भी है जैसे किंग कोबरा और मार्श मगरमच्छ ;

और, बाघ रिजर्व महत्वपूर्ण सरिताओं जिनके अंतर्गत सोमाहिनी, टाडाबेहाला भी हैं जो अभयारण्य में से होकर बहती है और अंत में भद्रा नदी में जा कर मिल जाती है के आवाह क्षेत्र और अभयारण्य में भद्रा नदी के पार निर्मित भद्रा जलाशय का निर्माण करता है ;

और, भद्रा वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) के साथ पठित और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नाटक राज्य में भद्रा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 2 किलोमीटर से 8 किलोमीटर तक के विस्तार वाले क्षेत्र को भद्रा वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं--(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार भद्रा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 2 किलोमीटर से 8 किलोमीटर तक के बीच है और ऐसे जोन की सीमाओं का वर्णन **उपाबंध-I** में दिया गया है ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत कर्नाटक में चिकमगलूर और शिवामोगा जिले के 57 गांव सम्मिलित है और यह 740.76 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है ।

(3) अक्षांशों और देशांतरों सहित पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का मानचित्र **उपाबंध-II** के रूप में संलग्न है ।

(4) पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध-III** के रूप में संलग्न है ।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना – (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) आंचलिक महायोजना राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी ।

(3) आंचलिक महायोजना के तैयार किए जाने के दौरान बाघ संरक्षण योजना पर भी ध्यान दिया जाएगा ।

(4) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना इस तरह, इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(5) आंचलिक महायोजना, पर्यावरण और पारिस्थितिक विचारों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के सभी संबद्ध विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:-

- (i) पर्यावरण ;
- (ii) वन ;
- (iii) शहरी विकास ;
- (iv) पर्यटन ;
- (v) नगरपालिक ;
- (vi) राजस्व ;
- (vii) कृषि ;

- (viii) कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड;
- (ix) सिंचाई; और
- (x) लोक निर्माण विभाग,

(6) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और आंचलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में अधिक दक्षता और पारिस्थितिक अनुकूलता का संवर्धन करेगी।

(7) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।

(8) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यंकन करेगी।

(9) आंचलिक महायोजना स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करने के लिए, पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को पारिस्थितिक अनुकूल विकास के लिए विनियमित करेगी।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय-- राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :-

(1) **भू-उपयोग** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) में क्रम सं0 10, 16, 22, 31 और 34 के अधीन क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होगा, अर्थात् :-

- (i) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिक अनुकूल आरामगाह जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि ;
- (ii) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और सुदृढ़ करना;
- (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;
- (iv) वर्षा जल संचय; और
- (v) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग, सुविधाजनक भंडार और स्थानीय सुविधाएं भी हैं:

परंतु यह और कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 तथा तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंज्ञात कोई त्रुटि, इसमें पैरा 3 में निर्दिष्ट मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा।

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोतों-** आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे।

(3) **पर्यटन – (क)** पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, पर्यटक महायोजना के अनुसार होंगे, जो आंचलिक महायोजना का एक भाग बनेंगे।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग द्वारा राज्य सरकार के वन और पर्यावरण विभाग के परामर्श से तैयार की जाएगी।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा पारिस्थितिक पर्यटन राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(ii) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे।

परंतु, जहाँ पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार एक किलोमीटर से ज्यादा है वहाँ, एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटक क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार होगा।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया होगा।

(4) **नैसर्गिक विरासत -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।

(7) **वायु प्रदूषण -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।

(8) **बहिष्काव का निस्सारण –** पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिष्काव का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट –** ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(आ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

- (ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्करण के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;
- (iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;
- (iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भस्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट-** पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना जि.एस. आर 343 (अ) तारीख 28 मार्च 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(11) **यानीय परिवहन** -परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुमोदित होने तक, पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(12) **औद्योगिक इकाईयां** - (क) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन में नए काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना के सिवाए विधि के अनुसार स्थापित विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योगों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(ख) जल, वायु, मृदा, ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले किसी नए उद्योग की प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन में स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)
प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और उनको तोड़ने की इकाइयां ।	(क) सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और बृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और उनको तोड़ने की इकाइयां प्रतिषिद्ध हैं, सिवाय निवासियों की वास्तविक घरेलू आवश्यकताओं के नहीं होंगी, जिसके अंतर्गत गृहों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए मिट्टी की खुदाई और व्यक्तिगत उपभोग के लिए गृहों के निर्माण के लिए देशी टाइलों या ईंटों का संनिर्माण भी है । (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा ।
2.	आरा मीलों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मीलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
3.	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषण कारित करने वाले का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
4.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
5.	नई बृहत जल विद्युत परियोजना और सिंचाई परियोजना की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।

6.	किन्हीं परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
7.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्वाह और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
8.	नए काष्ठ आधारित उद्योग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
विनियमित क्रियाकलाप		
9.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारों आदि द्वारा वन्यजीव राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
10.	पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन होटलों और रिसोर्टों की स्थापना ।	पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे। परंतु, जहाँ पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार एक किलोमीटर से ज्यादा है वहाँ, एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटक क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार होगा।
11.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें जो भी निकट है, के भीतर किसी भी प्रकार का नया वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा। परंतु स्थानीय व्यक्तियों को अपने आवासीय उपयोग, जिसके अंतर्गत पैरा 3 के उपपैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, के लिए अपनी भूमि पर संनिर्माण करने की अनुमति होगी । (ख) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप नियम या विनियम, यदि कोई लागू हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् अनुज्ञात होंगे । (ग) पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुसार होंगे । (घ) परन्तु, जहाँ पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार एक किलोमीटर से ज्यादा है तो वहाँ, एक किलोमीटर के पश्चात् और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक स्थानीय व्यक्तियों की सद्भावी आवश्यकता के लिए संनिर्माण अनुज्ञात होगा तथा अन्य वाणिज्यिक संनिर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुरूप होंगे ।
12.	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है ।	(क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए सतही जल और भूमिगत जल निष्कर्षण अनुज्ञात होगा । (ख) औद्योगिक, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल का निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने परिणाम में वह निष्कर्षण करेगा, भी है । (ग) सतही जल या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा । (घ) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे ।
13.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किन्हीं वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन

		बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी।
14.	विद्युत केबलों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण।	(i) भूमिगत तारों के बिछाने का संवर्धन किया जाएगा। (ii) विद्यमान घरेलू लाइने-यदि वह भूमि से ऊपर हे तो उनकी ऊंचाई < 20 डिग्री ढाल के लिए 20 फुट और > 30 डिग्री ढाल के लिए यह ऊंचाई भूमि से 30 फुट होनी चाहिए। (iii) 11 केवी तक के घरेलू प्रयोजन के लिए इलैक्ट्रिक लाइनों का कोई भावी बिछाया जाना भूमिगत होगा। (iv) 11 केवी से अधिक की किसी पारेषण लाइन के लिए 2 टावरों के बीच "सैग" बिन्दू भूमि से कम से कम 15 मीटर होना चाहिए।
15.	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड लगाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
16.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना।	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनीकरण उपाय यथा लागू अनुसार होंगे।
17.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
18.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
19.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
20.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्वाह का निस्सारण और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण।	उपचारित बहिर्वाह के पुनःचक्रण को प्रोत्साहित करना और अबमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन करना होगा।
21.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
22.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, को अनुज्ञात किया जाएगा।
23.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
24.	वायु और यानीय प्रदूषण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
25.	पॉलीथिन बैगों का उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
26.	कृषि प्रणालियों में आमूल परिवर्तन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
27.	प्रोद्यम मोटर क्रीडा।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
28.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
29.	पारिस्थितिक-पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
संवर्धित क्रियाकलाप		
30.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ डेयरियां, पशुपालन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
31.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
32.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
33.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर और अन्य कुटीर उद्योग आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग।	वायो गैस, सौर लाइट, आदि का संवर्धन किया जाएगा।
36.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	पर्यावरणीय जागरूकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. मानीटरी समिति- (1) केंद्रीय सरकार, कर्नाटक राज्य के भीतर आने वाले पारिस्थितिक संवेदी जोन की प्रभावी मानीटरी तीन वर्ष की अवधि के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

- | | |
|---|-----------|
| (i) क्षेत्रीय आयुक्त, मैसूर | -अध्यक्ष; |
| (ii) माननीय विधान सभा सदस्य, चिकमगलूर निर्वाचन क्षेत्र | -सदस्य; |
| (iii) माननीय विधान सभा सदस्य, शृंगेरी निर्वाचन क्षेत्र | -सदस्य; |
| (iv) माननीय विधान सभा सदस्य, तारीकेरे निर्वाचन क्षेत्र | -सदस्य; |
| (v) माननीय विधान सभा सदस्य, भद्रावती निर्वाचन क्षेत्र | -सदस्य; |
| (vi) माननीय विधान सभा सदस्य, शिवमोगा निर्वाचन क्षेत्र | -सदस्य; |
| (अन्य बातों के साथ-साथ कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष से प्राप्त अनुज्ञा सहित सुसंगत अनुमोदन, यदि आवश्यक हो, अभिप्राप्त करते हुए कर्नाटक राज्य सरकार के अध्यक्षीन) | |
| (vii) पर्यावरण विभाग, कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधि | -सदस्य; |
| (viii) शहरी विकास विभाग, कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधि | -सदस्य; |
| (ix) पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) का प्रत्येक मामले में कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि | -सदस्य; |
| (x) क्षेत्रीय अधिकारी, कर्नाटक सरकार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मैसूर | -सदस्य; |
| (xi) कर्नाटक सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रत्येक मामले में पारिस्थितिक और पर्यावरण क्षेत्र का एक विशेषज्ञ | -सदस्य; |
| (xii) राज्य जैव विविधता बोर्ड का सदस्य | -सदस्य; |
| (xiii) उपायुक्त या उसका प्रतिनिधि, चिकमगलूर जिला | -सदस्य; |
| (xiv) वन निदेशक और संरक्षक, भद्रा वन्यजीव अभयारण्य (बाघ रिजर्व), चिकमगलूर-सदस्य सचिव । | |

निर्देश निबंधन -

(2) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संरक्षित क्षेत्र का प्रभारी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध IV** में उपबंधित रूप में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।

6. केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

7. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे।

[फा.सं. 25/14/2016-ईएसजेड/आरई]

डा. टी चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का विवरण

भद्रा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का विवरण

उत्तर:-

सीमा ककनाहोसुदी-सिद्धामाजी होसुर और कैथोट्टु ग्रामों के त्रि-जंक्शन बांधों से आरंभ होती है, रेखा ककनाहोसुदी-बैरापुरा-उम्बलेबायलु और हुनसेकट्टे ग्राम की उत्तरी सीमा के साथ उत्तर पूर्व दिशा में जाती है यह हुनसेकट्टे-हुलियारमानकोप्पा और कलनायाकनाकट्टे ग्राम के त्रि-जंक्शन बांध से मिलती है।

पूर्व:-

इसके बाद रेखा हुनसेकट्टे, थम्मादिहल्ली, गोनीबीदु, मल्लेनाहल्ली, थावरियरघाटा, नेल्लीसारा, हुनासेनाहल्ली, कांचीकोप्पा, दोद्दाकुन्दुर, हरुवानाहल्ली और बरागेनाहल्ली की पूर्वी सीमा के साथ दक्षिण पूर्व, दक्षिण, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व दिशा की ओर जाती है यह बरागेनाहल्ली और वहारादिब्बा ग्रामों के भूभाग बांधों से मिलती है इसके बाद रेखा बरागेनाहल्ली-गुरुपुरा-वहाराबीरानाहल्ली, नंदीबटलु-रंगनाथापुरा-कल्लाथीपुरा-कामनादुर्गा अत्तीगिरि ग्राम की पूर्वी सीमा के साथ दक्षिण पूर्वी दिशा में जाती है इसके बाद रेखा दात्ताश्रेया पीता-कोलागेम, मालागरु-कोलागेम, पंदारावल्ली ग्रामों की पूर्वी सीमाओं के साथ दक्षिण पूर्व की ओर जाती है। इसके बाद रेखा बायरावली की सीमा के साथ जाती है और बायरावली-चन्नागोंदानाहल्ली एवं जाकानाहल्ली ग्राम के त्रि-जंक्शन बांधों से मिलती है।

दक्षिण:


इसके बाद रेखा बेयरावली, सिरावसे, बोगसे, बासापुरा, कादावन्थी और देवदाना ग्रामों की दक्षिणी सीमाओं के साथ दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जाती है और भद्रा नदी के तट में देवदाना, बच्चुर और बी. कनाबूर के त्रि-जंक्शन बांधों से मिलती है।

पश्चिम:

इसके अतिरिक्त, रेखा देवदाना-केरेहदलु के पश्चिमी सीमाओं के साथ उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व दिशाओं में जाती है और मदुगुनी, कोलाले और अदुवल्ली ग्रामों, भद्रा नदी को पार करके और अदुवल्ली-अलेहल्ली की पश्चिमी सीमा, सरया, सलुर के त्रि-जंक्शन बांधों से मिलती है और सलुर-नंदीगवे और हेब्बे ग्रामों के त्रि-जंक्शन बांधों से मिलती है इसके बाद रेखा लिंगापुरा ग्राम की सीमा के साथ भद्रा जलाशय, अरमबली आरक्षित वन की पश्चिमी सीमा के साथ जाती है और आरंभिक बिंदु से मिलती है।

पारिस्थितिक संवेदी जोन की बाहरी सीमा के अंतर्गत आने वाले सभी वन और गैर वन भद्रा वन्यजीव अभयारण्य के कोर क्षेत्र को छोड़कर पहले ही ऊपर वर्णित है।

पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र



क. भद्रा वन्यजीव अभयारण्य (बाघ रिजर्व) सीमा के मुख्य अवस्थान (भू मण्डलीय स्थिति प्रणाली बिंदु)

मानचित्र अवस्थान	में	अक्षांश दशमलव डिग्री में	देशांतर दशमलव डिग्री में
1		13.7536	75.5647
2		13.7440	75.6014
3		13.7695	75.6042
4		13.7658	75.6236
5		13.7355	75.6349
6		13.7148	75.6197
7		13.6921	75.6329
8		13.6678	75.6636
9		13.6586	75.7030
10		13.6287	75.7191
11		13.6508	75.7199
12		13.6282	75.7429
13		13.6069	75.7474
14		13.5790	75.7000
15		13.5720	75.6362
16		13.5227	75.5893
17		13.5500	75.6890
18		13.4999	75.7088
19		13.4300	75.6945
20		13.4524	75.6708
21		13.3933	75.6469
22		13.4362	75.6417
23		13.4601	75.6006
24		13.4893	75.5856
25		13.4531	75.5559
26		13.4077	75.5285
27		13.4026	75.5485
28		13.4421	75.5680
29		13.3876	75.5704
30		13.3766	75.5294
31		13.3837	75.5168
32		13.3787	75.4915
33		13.3996	75.4855
34		13.4117	75.5099
35		13.4227	75.4991
36		13.4469	75.5235

37	13.4891	75.5290
38	13.5523	75.5741
39	13.5824	75.5966
40	13.5830	75.5830
41	13.6689	75.5565
42	13.6901	75.5891
43	13.7038	75.5714
44	13.6771	75.5669
45	13.7120	75.5625
46	13.7392	75.5657
47	13.7398	75.5300
48	13.5566	75.7490
49	13.5372	75.7606
50	13.5445	75.7746
51	13.5156	75.7742
52	13.5010	75.7370
53	13.5181	75.7395
54	13.5309	75.7377

ख. पारिस्थितिक संवेदी जोन सीमा के मुख्य अवस्थान (भू-मण्डलीय स्थिति प्रणाली बिंदु)

मानचित्र आई डी	अक्षांश दशमलव डिग्री में	देशांतर दशमलव डिग्री में
1	13.7622	75.5274
2	13.7653	75.5424
3	13.7770	75.5739
4	13.7980	75.5803
5	13.7983	75.6365
6	13.7660	75.6444
7	13.7614	75.6610
8	13.7263	75.6755
9	13.7023	75.6609
10	13.6882	75.7100
11	13.6917	75.7403
12	13.6057	75.7866
13	13.5633	75.7968
14	13.5302	75.7929
15	13.5086	75.8334
16	13.4456	75.7634
17	13.4082	75.7207
18	13.3901	75.6774

19	13.3492	75.6468
20	13.3755	75.5942
21	13.3419	75.5603
22	13.3688	75.5382
23	13.2949	75.5566
24	13.3320	75.4740
25	13.3361	75.4388
26	13.3827	75.4352
27	13.4334	75.4780
28	13.4741	75.4722
29	13.5056	75.4661
30	13.5235	75.5216
31	13.5570	75.5299
32	13.5735	75.5831
33	13.6128	75.5672
34	13.5770	75.5249
35	13.5933	75.5151
36	13.6118	75.5396
37	13.6370	75.5570
38	13.6167	75.4992
39	13.6571	75.5570
40	13.6609	75.5333
41	13.6645	75.5531
42	13.6623	75.4820
43	13.6892	75.4729
44	13.7148	75.4659
45	13.7409	75.4981

उपाबंध-III

पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क. भद्रा वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन में सम्मिलित निकटस्थ ग्रामों की सूची निम्न रूप से है:-

मानचित्र आई डी	ग्राम	पारिस्थितिक संवेदी जोन की चौड़ाई	तालुक	जिला	क्षेत्र हेक्टेयर में	अक्षांश दशमलव डिग्री में	देशांतर दशमलव डिग्री में
1	लक्कावल्ली	संपूर्ण ग्राम	तारीकेरे	चिकमागलुर	382.21	13.7031	75.6546
2	हुनेसेनाहल्ली	संपूर्ण ग्राम	तारीकेरे	चिकमागलुर	190.71	13.6982	75.6435
3	उप्पारभीरानाहल्ली	संपूर्ण ग्राम	तारीकेरे	चिकमागलुर	132.56	13.6913	75.6513
4	केनचिकोप्पा	संपूर्ण ग्राम	तारीकेरे	चिकमागलुर	497.77	13.6874	75.6637
5	दोद्वारकुन्दुर	संपूर्ण ग्राम	तारीकेरे	चिकमागलुर	537.96	13.6766	75.6816
6	हरुवनाहल्ली	संपूर्ण ग्राम	तारीकेरे	चिकमागलुर	269.58	13.6687	75.7055
7	बरागेनाहल्ली	संपूर्ण ग्राम	तारीकेरे	चिकमागलुर	244.30	13.6799	75.7078
8	गुरुपुरा	संपूर्ण ग्राम	तारीकेरे	चिकमागलुर	89.12	13.6594	75.7273
9	गुद्दादाविरानाहल्ली	संपूर्ण ग्राम	तारीकेरे	चिकमागलुर	471.88	13.6387	75.7326
10	नन्दीवट्टालु	संपूर्ण ग्राम	तारीकेरे	चिकमागलुर	1568.01	13.5951	75.7685
11	मनचेथावारु	संपूर्ण ग्राम	तारीकेरे	चिकमागलुर	711.16	13.5782	75.7467
12	थिगादा	संपूर्ण ग्राम	तारीकेरे	चिकमागलुर	703.63	13.5763	75.7613
13	तनीगेबायले	संपूर्ण ग्राम	तारीकेरे	चिकमागलुर	667.51	13.5741	75.7118
14	कामनादुर्गा	संपूर्ण ग्राम	तारीकेरे	चिकमागलुर	1558.67	13.5200	75.7985
15	रंगानाथापुरा	संपूर्ण ग्राम	तारीकेरे	चिकमागलुर	674.93	13.5951	75.7685
16	सिंगानामाने	संपूर्ण ग्राम	भद्रावती	शिवामोगा	568.62	13.7198	75.6344
17	वदीयुरु	संपूर्ण ग्राम	भद्रावती	शिवामोगा	111.80	13.7164	75.6480
18	थवारेघाटा	संपूर्ण ग्राम	भद्रावती	शिवामोगा	86.27	13.7272	75.6475
19	मल्लेनाहल्ली	संपूर्ण ग्राम	भद्रावती	शिवामोगा	293.64	13.7305	75.6603
20	नेल्लीसारा	संपूर्ण ग्राम	भद्रावती	शिवामोगा	140.15	13.7217	75.6601
21	हुनासेकट्टे	संपूर्ण ग्राम	भद्रावती	शिवामोगा	1307.61	13.7853	75.6230
22	थम्मादिहल्ली	संपूर्ण ग्राम	भद्रावती	शिवामोगा	347.71	13.7622	75.6333
23	गोनीबीदु	संपूर्ण ग्राम	भद्रावती	शिवामोगा	300.02	13.7486	75.6498
24	मल्लीगेनाहल्ली	संपूर्ण ग्राम	भद्रावती	शिवामोगा	543.98	13.7406	75.6459
25	उम्बलेबायलु	संपूर्ण ग्राम	शिवामोगा	शिवामोगा	423.89	13.7794	75.5845
26	ककनाहोसुदी	संपूर्ण ग्राम	शिवामोगा	शिवामोगा	163.23	13.7576	75.5436
27	बायरापुरा	संपूर्ण ग्राम	एन.आर.पुरा	चिकमागलुर	1230.71	13.7495	75.5753
28	दंदुबीट्टाहारा	संपूर्ण ग्राम	एन.आर.पुरा	चिकमागलुर	1307.51	13.5783	75.6601
29	अदुवल्ली	संपूर्ण ग्राम	एन.आर.पुरा	चिकमागलुर	1622.76	13.4494	75.4896
30	कोलाले	संपूर्ण ग्राम	एन.आर.पुरा	चिकमागलुर	683.75	13.4155	75.4918

31	अलेहल्ली	संपूर्ण ग्राम	एन.आर.पुरा	चिकमागलुर	298.86	13.4712	75.5041
32	बी कनाबुर	संपूर्ण ग्राम	एन.आर.पुरा	चिकमागलुर	1293.27	13.3758	75.4502
33	सारया	संपूर्ण ग्राम	एन.आर.पुरा	चिकमागलुर	261.26	13.5132	75.5334
34	सलूर	संपूर्ण ग्राम	एन.आर.पुरा	चिकमागलुर	622.91	13.5650	75.5545
35	मधुगुनी	संपूर्ण ग्राम	एन.आर.पुरा	चिकमागलुर	1116.19	13.3845	75.47033
36	केसावीनमाने	संपूर्ण ग्राम	शिवामोगा	शिवामोगा	2973.82	13.5345	75.7349
37	मेलिहलुवथी	संपूर्ण ग्राम	चिकमागलुर	चिकमागलुर	2656.65	13.4795	75.7021
38	कोलागमे	संपूर्ण ग्राम	चिकमागलुर	चिकमागलुर	2374.55	13.4532	75.7342
39	जगारा	संपूर्ण ग्राम	चिकमागलुर	चिकमागलुर	1092.16	13.4318	75.6649
40	मालागर	संपूर्ण ग्राम	चिकमागलुर	चिकमागलुर	533.89	13.4425	7118
41	बायरावल्ली	संपूर्ण ग्राम	चिकमागलुर	चिकमागलुर	1572.37	13.712	75.6567
42	सिरावासे	संपूर्ण ग्राम	चिकमागलुर	चिकमागलुर	2036.36	13.4040	75.6140
43	सुगादावनी	संपूर्ण ग्राम	चिकमागलुर	चिकमागलुर	2398.59	13.4412	75.5954
44	बिदारे	संपूर्ण ग्राम	चिकमागलुर	चिकमागलुर	2115.75	13.4136	75.5360
45	बोगासे	संपूर्ण ग्राम	चिकमागलुर	चिकमागलुर	675.31	13.3936	75.5827
46	बसापुरा	संपूर्ण ग्राम	चिकमागलुर	चिकमागलुर	472.45	13.3784	75.5519
47	शिरागोला	संपूर्ण ग्राम	चिकमागलुर	चिकमागलुर	429.17	13.4455	75.5518
48	कदावन्थी	संपूर्ण ग्राम	चिकमागलुर	चिकमागलुर	1563.04	13.3612	75.5711
49	देवधाना	संपूर्ण ग्राम	चिकमागलुर	चिकमागलुर	950.27	13.3275	75.5327
50	मेलुगिरि	संपूर्ण ग्राम	चिकमागलुर	चिकमागलुर	237.33	13.5172	75.7920
51	हिपला	संपूर्ण ग्राम	चिकमागलुर	शिवामोगा	298.51	13.5495	75.6256
52	कल्लाथिपुरा	संपूर्ण ग्राम	तारीकेरे	चिकमागलुर	357	13.5436	75.7825
53	लिंगापुरा	संपूर्ण ग्राम	शिवामोगा	शिवामोगा	531	13.7496	75.5293
54	अत्तीगिरि	संपूर्ण ग्राम	चिकमागलुर	चिकमागलुर	600	13.5067	75.7870
55	दत्ताथरेया पीता	संपूर्ण ग्राम	चिकमागलुर	चिकमागलुर	258.00	13.4722	75.7544
56	पंदरावल्ली	संपूर्ण ग्राम	चिकमागलुर	चिकमागलुर	2188.00	13.4011	75.6913
57	नन्दीगावे	संपूर्ण ग्राम	चिकमागलुर	एन.आर.पुरा	977.00	13.5380	75.5988
				कुल	48661.36		

* ऊपर सारणीबद्ध स्तंभ मधुगुनी, शिरागोला, बिदारे ग्राम क्षेत्र के संरक्षित क्षेत्र के निकटस्थ क्षेत्र भी सम्मिलित है।

* इन ग्रामों में भूमि उपयोग प्रतिरूप में मुख्यतः मानव और मवेशी रिहायशी इकाइयों, स्कूल, स्वास्थ्य केन्द्र, सड़क, कृषि योग्य भूमि के

तहत कृषि और बागवानी फसलें हैं।

ख. भद्रा वन्यजीव अभयारण्य (बाघ रिजर्व) पारिस्थितिक संवेदी जोन में सम्मिलित निकटस्थ अधिसूचित वनों की सूची निम्न रूप से है।

क्र. सं.	जिला	आरक्षित/लघु वनों के नाम	विभाग	क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में	जी.ओ. सं./अधिसूचना सं. और दिनांक
1	चिक्कागलुरु	कुसगल आरक्षित वन	कोप्पा	46.15	आर 7131-एफ.टी.-58-03-14, दिनांक 11-12-1905
2	चिक्कागलुरु	कोलाले लघु वन	कोप्पा	4.60	जी. 143202-एफ.टी. 7-29-3, दिनांक 08.05.1930
3	चिक्कागलुरु	अलेहल्ली लघु वन	कोप्पा	1.37	जी 143202-एफ. टी. 7-29-3, दिनांक 08.05.1930
4	चिक्कागलुरु	अदुहल्ली लघु वन	कोप्पा	2.99	(i) जी-13604-एफ. टी. 7-29-49 दिनांक. 29.10.1911
5	चिक्कागलुरु	देवदाना आरक्षित वन	कोप्पा	4.55	आर 3373-एफ टी-75-10-7, दिनांक 29.10.1911
6	चिक्कागलुरु	मधुगुनी लघु वन	कोप्पा	8.00	आर 7131-एफ टी-58-03-14, दिनांक. 11.12.1905
7	चिक्कागलुरु	सलुरु लघु वन	कोप्पा	4.08	(i) जी-13625-एफ टी. 29-40 दिनांक. 20.05.1930
8	चिक्कागलुरु	तनीगेबैल लघु वन	भद्रावती	4.73	जी-2072-एफ टी-7-29-53 दिनांक: 16.8.1930
9	चिक्कागलुरु	गुरुपुरा आरक्षित वन	भद्रावती	5.40	(i) आर 8969.72-एफ टी. 118.15.4/18.3.1916
10	चिक्कागलुरु	थिम्मापुरा आरक्षित वन	भद्रावती	8.09	जी.739-एफ टी-62-26-5, दिनांक.30.05.1997 एस-429-32-एफ टी-62-26-4 दिनांक.30.05.1927
11	चिक्कागलुरु	नन्दीबातलु लघु वन	भद्रावती	3.60	जी.ओ.जी.-5795-एफ टी. 33-39-61 दिनांक: 01.12.1930
12	चिक्कागलुरु	मसकली आरक्षित वन	चिक्कागलुरु	22.83	ए.जी.2257-एफ टी 38-44-2, दिनांक: 22.11.1944
13	चिक्कागलुरु	सुगुदुवनी	चिक्कागलुरु	2.15	खंड 4, ए.एच.एफ.एफ-21-एफ.ए.एफ.-93, दिनांक. 08.09.1993
14	चिक्कागलुरु	कुन्दुर लघु वन	भद्रावती	11.89	(i) जी-5780-एफ टी-33-30-56, दिनांक. 01.12 1930
15	शिवामोगा	तम्मादीहल्ली आरक्षित वन	भद्रावती	8.05	(i) आर-12431-एफ टी. 114-16-4/27.03.1919 (ii) आर-12427- 30-एफ टी.114-18-4/4/27.03.1919
16	शिवामोगा	उम्बलेबायले आरक्षित वन	भद्रावती	14.40	जी. आर. 5907-एफ टी85-6
17	शिवामोगा	काकनहोसुदी आरक्षित वन	भद्रावती	9.06	सं. आर 1971-एफ टी-166-099, दिनांक: 03-

					11-1909
18	चिक्कमागलुरु	अरमबल्ली आरक्षित वन	कोप्पा	62.63	सं. आर -4087-एफ टी-29-05-5, दिनांक. 25-09-1905
19	चिक्कमागलुरु	त्यागादाबहागी आरक्षित वन	भद्रावती	20.14	सं. आर -407-एफ टी F39-95, दिनांक:31-12-1900
20	चिक्कमागलुरु	कोदीहल्ली लघु वन	कोप्पा	1.57	जी-131-71-एफ टी-7-29-27 दिनांक: 08-05-1930
21	चिक्कमागलुरु	बसावनकोटे आरक्षित वन	कोप्पा	7.57	सं. 931-10403 दिनांक: 19-06-1904
			कुल	253.85	

भद्रा वन्यजीव अभयारण्य (बाघ रिजर्व) पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार

संक्षेप	
पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आरक्षित वन/लघु वन	25385.00 हेक्टेयर
पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्राम चिक्कमागलुरु, एन. आर. पुरा, तारीकेरे, भद्रावती, शिवामोगा तालुक।	48661.36 हेक्टेयर
कुल	74046.36 हेक्टेयर या 740.46 वर्ग किलोमीटर

उपाबंध-IV

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति- की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तारीख।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना भी है।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ब्यौरों को उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली क्रियाकलापों की संविधा के मामलों का सारांश। ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली क्रियाकलापों की संविधा के मामलों का सारांश। ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश।
8. महत्ता का कोई अन्य विषय।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th July, 2016

S.O. 2635 (E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required by sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at: - esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, the Bhadra Wildlife Sanctuary is situated in Chikkamagaluru, Tarikere and Narsimha Raja Pura talukas of Chikkamagaluru District and Shivamogga and Bhadravathi talukas in Shivamogga District of Karnataka State and lies between 13°22' to 13°47' N latitude, 75°29' to 75°45' E longitude and Bababudangiri section from 13°30' to 13°33' N latitude and 75°44' to 75°47' E longitude;

AND WHEREAS, the Bhadra Wildlife Sanctuary is contiguous with Shettihalli Wildlife Sanctuary and is spread over an area of 500.16 square kilometres which includes 87 square kilometres of backwaters of the Bhadra Reservoir;

AND WHEREAS, the sanctuary has been declared as a Tiger Reserve, vide Notification No: FEE-299 FWL 2007, dated 20th December, 2007 of the government of Karnataka;

AND WHEREAS, the Tiger Reserve consists of varied forest types including dry and moist deciduous and semi evergreen forests and also shola grassland vegetation in Kemmangundi area within the sanctuary limits;

AND WHEREAS, the Tiger Reserve supports 42 mammal species which includes Tiger, Leopard, Wild dog, Sloth bear, Elephant, Gaur, Sambar, Mouse deer, Flying squirrel and Others;

AND WHEREAS, the Tiger Reserve also supports nearly 264 species of birds such as Malabar pied hornbill, Great pied hornbill, Malabar grey hornbill which is endemic to the Western Ghats and also other species such as King cobra and Marsh Crocodile;

AND WHEREAS, the Tiger Reserve forms the catchment of important streams including Somahini, Tadabehalla that flow through the sanctuary and finally join the Bhadra River and the Bhadra Reservoir built across the Bhadra River in the sanctuary;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1 of this notification around the Bhadra Tiger Reserve as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industry and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone ;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent of 2 kilometres to 8 kilometres from the boundary of Bhadra Wildlife Sanctuary in the State of Karnataka, as the Bhadra Tiger Reserve Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundary of Eco-sensitive Zone.-(1) The Eco-sensitive Zone has an extent varying from 2 kilometres to 8 kilometres from the boundary of Bhadra Wildlife Sanctuary and the description of boundaries is given in **Annexure I**.

(2) The Eco-sensitive Zone includes 57 villages in Chikkamagalur and Shivamogga Districts in Karnataka and it is spread over an area of 740.76 square kilometres.

(3) The map of Eco-sensitive Zone boundary together with latitudes longitudes is appended as **Annexure II**;

(4) The list of villages falling within the Eco-sensitive Zone is given in **Annexure-III**.

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.-(1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The Zonal Master Plan shall be approved by the competent authority in the State Government.

(3) The Tiger Conservation Plan shall also be taken into consideration during the preparation at the Zonal Master Plan.

(4) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(5) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

(i) Environment,

(ii) Forest,

(iii) Urban Development,

(iv) Tourism,

(v) Municipal,

(vi) Revenue,

(vii) Agriculture,

(viii) State Pollution Control Board,

(ix) Irrigation,

(x) Public Works Department for integrating environmental and ecological considerations into it.

(6) The Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(7) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(8) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(9) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone as to ensure eco-friendly development for livelihood security of local communities.

3. **Measures to be taken by State Government.**-The State Governments shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.**- Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 10, 16, 22, 31 and 34 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

- (i) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses and other temporary occupation facility for Eco-friendly tourism activities;
- (ii) Widening and strengthening of existing roads;
- (iii) Small scale industries not causing pollution;
- (iv) Rainwater harvesting; and
- (v) Cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities:

Provided further that tribal land shall not be used for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural springs.**-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.**- (a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be **in accordance with the** Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by the Department of Tourism, in consultation with the Department of Forests and Environment, Government of Karnataka.

(c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) No new commercial hotels and resorts shall be permitted, within one kilometre of the boundary of the **protected area** or the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities.

Provided that, where Eco-sensitive Zone extends beyond one kilometre, then beyond one kilometre and up to the extent of the Eco-sensitive Zone, all new tourism activities or expansions of existing activities would be conformity with Tourism Master Plan and the guidelines of the National Tiger Conservation Authority.

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities would be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural Heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs and other natural heritage sites shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981) and the rules made thereunder.

(7) **Air pollution.-** The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and the rules made thereunder.

(9) **Solid wastes. -** Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000, published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September, 2000 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone

(10) **Bio-medical waste.-** The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* Notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998 as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic.** - The vehicular movement shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement the rules and regulations under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(12) **Industrial units.-** (a) No establishment of new wood based industries within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted except the existing wood based industries set up as per the law.

(b) No establishment of any new industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-** All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S.No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited Activities		
1.	Commercial mining , stone quarrying and crushing units	(a) New and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying, and crushing units shall be prohibited in the Eco-sensitive Zone except for the domestic needs of <i>bona fide</i> local residents with reference to digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the interim order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumalpad Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive zone.
3.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
4.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Establishment of new major	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable

	hydroelectric projects and irrigation projects.	laws.
6.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	New wood based industry.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
Regulated Activities		
9.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the National Park Area by aircraft, hot-air balloons.	Regulated under applicable laws.
10.	Establishment of eco-friendly tourism hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted, within one kilometre of the boundary of the protected area or the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities. However, where Eco-sensitive Zone extends beyond one kilometre, then beyond one kilometre and up to the extent of the Eco-sensitive Zone, all new tourism activities or expansions of existing activities shall be conformity with the guidelines of the Tourism Master Plan and National Tiger Conservation Authority.
11.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted, within one kilometre of the boundary of the protected area or the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential use including the activities listed in sub paragraph (1) of paragraph 3. (b) The construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (c) construction activity in the Eco-sensitive Zone shall be as per Zonal Master Plan. (c) However, where Eco-sensitive Zone extends beyond one kilometre, then beyond one kilometre and upto the extent of Eco- sensitive Zone, construction for bona fide local needs shall be permitted and other commercial construction activities shall be in conformity with the Zonal Master Plan.
12.	Commercial water resources including ground water harvesting.	(a) The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for <i>bona fide</i> agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land. (b) Extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned regulatory authority. (c) No sale of surface water or ground water shall be permitted. (d) Steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.

13.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government; (b) the felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
14.	Erection of electrical cables and telecommunication towers.	(a) Promote underground cabling. (b) Existing domestic lines – If over ground should be at the height of 20 feet for slope < 20 degree and for slope > 30 degree it should be at the height of 30 feet from the ground. (c) For any future laying of electric lines for the domestic purpose up to 11 KV has to be done underground. (d) For any transmission line more than 11 KV, the “sag” point between the two towers should be at least 15 meters from the ground.
15.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws.
16.	Widening and strengthening of existing roads.	shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
17.	Movement of vehicles at night.	Regulated for commercial purpose, under applicable laws.
18.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
19.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
20.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid wastes, the existing regulations shall be followed.
21.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
22.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
23.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce.	Regulated under applicable laws.
24.	Air and vehicular pollution.	Regulated under applicable laws.
25.	Use of polythene bags.	Regulated under applicable laws.
26.	Drastic change of agriculture systems.	Regulated under applicable laws.
27.	Adventure motor sports .	Regulated under applicable laws.

28.	Solid Waste Management.	Regulated under applicable laws.
29.	Eco-Tourism.	Regulated under applicable laws.
Promoted Activities		
30.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming.	Permitted under applicable laws.
31.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
32.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
33.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
34.	Cottage industries including village artisans and other cottage industries.	Shall be actively promoted.
35.	Use of renewable energy sources.	Bio gas, solar light and other energy sources to be promoted.
36.	Agro Forestry.	Shall be actively promoted.
37.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee.- (1) The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee for a period of three years, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of the following namely:-

- (a) Regional Commissioner, Mysore – Chairman;
- (b) Hon'ble Member of Legislative Assembly, Chikmagalur Constituency – Member;
- (c) Hon'ble Member of Legislative Assembly, Sringeri Constituency – Member;
- (d) Hon'ble Member of Legislative Assembly, Tarikere Constituency – Member;
- (e) Hon'ble Member of Legislative Assembly, Bhadravati Constituency – Member;
- (f) Hon'ble Member of Legislative Assembly, Shimoga Constituency – Member;

(Subject to the State Government of Karnataka obtaining relevant approvals, *inter alia*, including permission from the Speaker of Legislative Assembly, Karnataka, if required)

- (g) Representative of the Department of Environment, Government of Karnataka – Member;
- (h) Representative of the Department of Urban Development, Government of Karnataka – Member;
- (i) Representative of Non-governmental Organisations working in the field of nature conservation (including heritage conservation) to be nominated by the Ministry of Environment and Forests, Government of India – Member;
- (j) The Regional Officer, Karnataka State Pollution Control Board, Mysore – Member;
- (k) One expert in Ecology from reputed Institution or University of the State of Karnataka to be nominated by the Ministry of Environment and Forests, Government of India – Member;
- (l) Member of the State Biodiversity Board - Member;
- (m) Deputy Commissioner or his representative, Chikmagalur District, – Member

- (n) The Director and Conservator of Forests, Bhadra Wildlife Sanctuary (Tiger Reserve),
Chikamagalur – Member Secretary.

Terms of Reference:

- (2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.
- (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
- (5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro forma appended at Annexure IV.
- (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
6. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.
7. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/14/2016-ESZ-RE]

Dr. T. CHANDINI, Scientist 'G'

ANNEXURE - I**Boundary Description Of Bhadra Tiger Reserve Eco-Sensitive Zone**Boundary Description of Bhadra Tiger Reserve Eco-Sensitive Zone**North:-**

The boundary starting from the trijunction bandhs of Kakanahosudi-Siddamaji Hosur and Kaithottu villages, the line runs towards North East direction along the northern boundary of Kakanahosudi- Bairapura- Umblebylu and Hunasekatte village to meet the trijunction bandh of Hunasekatte-Huliyaramankoppa & Kalanayakanakatte village.

East:-

Then the line runs towards South east, South, West and South East direction along the Eastern boundary of Hunasekatte. Thammadihalli, Gonibeedu, Mallenahalli, Thavarearghatta, Nellisara, Hunasenahalli, Kanchikoppa, Doddakundur, Haruvanahalli and Baragenahalli to meet the corner bandhs of Bargenahalli and Waddaradibba villages then line runs in the South easterly direction along the Eastern boundary of Baragenahalli-Gurupura-Waddaarabeeranahalli, Nandibattlu-Ranganathapura-Kallathiprua-Kamanadurga Attigriri village then the line runs towards South Easterly direction along the Eastern boundaries of Dattathreya peeta-Kolagame, Malagaru-Kolagame, Pandaravalli villages. Then the line runs along the boundary of Byravalli and meets the trijunction bandhs of Byravalli-Channagondanahalli& Jakkanahalli village.

South:

Then the line runs towards the South East, North West, South West direction along the Southern boundaries of Byravalli, Siravase, Bogase, Basapura, Kadavanthi and Devadana villages and meets the trijunction bandhs of Devadana, Bannur and B.Kanaboor village in the Bank of Bhadra river.


West:

Further, the line runs in the North West North East directions along the Western boundaries of Devadana-Kerehadlu and cross the Bhadra river, Maduguni, Kolale and Aduvalli villages meets the trijunction bandhs of Aduvalli-Western boundary of Alehalli, Sarya, Salur and meets the trijunction bandhs of Salur-Nandigave and Hebbe villages. Then the line runs all along the Western boundary of the Bhadra reservoir, Armballi RF, along the boundry of Lingapura village and meets the starting point.

All the forest and Non-forest area within the above described outer boundary is the Eco Sensitive Zone excluding the area already in the core area of the Bhadra Wildlife Sanctuary.

Annexure-II

Map of proposed Eco-Sensitive Zone:



A. Key location (Global Positioning System Points) on the Bhadra Wildlife Sanctuary(Tiger Reserve) boundary

Location on MAP	Latitude in decimal degrees	Longitude in decimal degree
1	13.7536	75.5647
2	13.7440	75.6014
3	13.7695	75.6042
4	13.7658	75.6236
5	13.7355	75.6349
6	13.7148	75.6197
7	13.6921	75.6329
8	13.6678	75.6636
9	13.6586	75.7030
10	13.6287	75.7191
11	13.6508	75.7199
12	13.6282	75.7429
13	13.6069	75.7474
14	13.5790	75.7000
15	13.5720	75.6362
16	13.5227	75.5893
17	13.5500	75.6890
18	13.4999	75.7088
19	13.4300	75.6945
20	13.4524	75.6708
21	13.3933	75.6469
22	13.4362	75.6417
23	13.4601	75.6006
24	13.4893	75.5856
25	13.4531	75.5559
26	13.4077	75.5285
27	13.4026	75.5485
28	13.4421	75.5680
29	13.3876	75.5704
30	13.3766	75.5294
31	13.3837	75.5168
32	13.3787	75.4915
33	13.3996	75.4855
34	13.4117	75.5099
35	13.4227	75.4991
36	13.4469	75.5235
37	13.4891	75.5290
38	13.5523	75.5741
39	13.5824	75.5966
40	13.5830	75.5830
41	13.6689	75.5565
42	13.6901	75.5891
43	13.7038	75.5714
44	13.6771	75.5669
45	13.7120	75.5625
46	13.7392	75.5657
47	13.7398	75.5300

48	13.5566	75.7490
49	13.5372	75.7606
50	13.5445	75.7746
51	13.5156	75.7742
52	13.5010	75.7370
53	13.5181	75.7395
54	13.5309	75.7377

B. Key locations (Global Positioning System Points) on the Eco-sensitive zone boundary

Map ID	Latitude in decimal degrees	Latitude in decimal degrees
1	13.7622	75.5274
2	13.7653	75.5424
3	13.7770	75.5739
4	13.7980	75.5803
5	13.7983	75.6365
6	13.7660	75.6444
7	13.7614	75.6610
8	13.7263	75.6755
9	13.7023	75.6609
10	13.6882	75.7100
11	13.6917	75.7403
12	136057	75.7866
13	13.5633	75.7968
14	13.5302	75.7929
15	13.5086	75.8334
16	13.4456	75.7634
17	13.4082	75.7207
18	13.3901	75.6774
19	13.3492	75.6468
20	13.3755	75.5942
21	13.3419	75.5603
22	13.3688	75.5382
23	13.2949	75.5566
24	13.3320	75.4740
25	13.3361	75.4388
26	13.3827	75.4352
27	13.4334	75.4780
28	13.4741	75.4722
29	13.5056	75.4661
30	13.5235	75.5216
31	13.5570	75.5299

32	13.5735	75.5831
33	13.6128	75.5672
34	13.5770	75.5249
35	13.5933	75.5151
36	13.6118	75.5396
37	13.6370	75.5570
38	13.6167	75.4992
39	13.6571	75.5570
40	13.6609	75.5333
41	13.6645	75.5531
42	13.6623	75.4820
43	13.6892	75.4729
44	13.7148	75.4659
45	13.7409	75.4981

Annexure-III**List of villages falling within the proposed Eco-sensitive Zone**

A. The list of the adjoining villages included in the Bhadra Wildlife Sanctuary Eco-Sensitive Zone are as follows:-

Map Id	Village	Eco-Sensitive width	Taluk	District	Area in ha	Latitude in decimal degrees	Longitude in decimal degrees
1	Lakkavalli	Entire Village	Tarikere	Chikmagalur	382.21	13.7031	75.6546
2	Hunesenahalli	Entire Village	Tarikere	Chikmagalur	190.71	13.6982	75.6435
3	Upparbhiranahalli	Entire Village	Tarikere	Chikmagalur	132.56	13.6913	75.6513
4	Kenchikoppa	Entire Village	Tarikere	Chikmagalur	497.77	13.6874	75.6637
5	Doddarkundur	Entire Village	Tarikere	Chikmagalur	537.96	13.6766	75.6816
6	Haruvanahalli	Entire Village	Tarikere	Chikmagalur	269.58	13.6687	75.7055
7	Baragenahalli	Entire Village	Tarikere	Chikmagalur	244.30	13.6799	75.7078
8	Gurupura	Entire Village	Tarikere	Chikmagalur	89.12	13.6594	75.7273
9	Guddadabiranahalli	Entire Village	Tarikere	Chikmagalur	471.88	13.6387	75.7326
10	Nandibattalu	Entire Village	Tarikere	Chikmagalur	1568.01	13.5951	75.7685
11	Manchethavaru	Entire Village	Tarikere	Chikmagalur	711.16	13.5782	75.7467
12	Thigada	Entire Village	Tarikere	Chikmagalur	703.63	13.5763	75.7613
13	Tanigebyle	Entire Village	Tarikere	Chikmagalur	667.51	13.5741	75.7118
14	Kamanadurga	Entire Village	Tarikere	Chikmagalur	1558.67	13.5200	75.7985
15	Ranganathapura	Entire Village	Tarikere	Chikmagalur	674.93	13.5951	75.7685
16	Singanamane	Entire Village	Bhadravathi	Shivamogga	568.62	13.7198	75.6344

17	Vadiyuru	Entire Village	Bhadravathi	Shivamogga	111.80	13.7164	75.6480
18	Thavareghatta	Entire Village	Bhadravathi	Shivamogga	86.27	13.7272	75.6475
19	Mallenahalli	Entire Village	Bhadravathi	Shivamogga	293.64	13.7305	75.6603
20	Nellisara	Entire Village	Bhadravathi	Shivamogga	140.15	13.7217	75.6601
21	Hunasekatte	Entire Village	Bhadravathi	Shivamogga	1307.61	13.7853	75.6230
22	Thammadihalli	Entire Village	Bhadravathi	Shivamogga	347.71	13.7622	75.6333
23	Gonibeedu	Entire Village	Bhadravathi	Shivamogga	300.02	13.7486	75.6498
24	Malligenahalli	Entire Village	Bhadravathi	Shivamogga	543.98	13.7406	75.6459
25	Umblebylu	Entire Village	Shivamogga	Shivamogga	423.89	13.7794	75.5845
26	Kakanahosudi	Entire Village	Shivamogga	Shivamogga	163.23	13.7576	75.5436
27	Byrapura	Entire Village	N.R. Pura	Chikmagalur	1230.71	13.7495	75.5753
28	Dandubittahara	Entire Village	N.R. Pura	Chikmagalur	1307.51	13.5783	75.6601
29	Aduvalli	Entire Village	N.R. Pura	Chikmagalur	1622.76	13.4494	75.4896
30	Kolale	Entire Village	N.R. Pura	Chikmagalur	683.75	13.4155	75.4918
31	Alehalli	Entire Village	N.R. Pura	Chikmagalur	298.86	13.4712	75.5041
32	B Kanabur	Entire Village	N.R. Pura	Chikmagalur	1293.27	13.3758	75.4502
33	Saarya	Entire Village	N.R. Pura	Chikmagalur	261.26	13.5132	75.5334
34	Saloor	Entire Village	N.R. Pura	Chikmagalur	622.91	13.5650	75.5545
35	Madhuguni	Entire Village	N.R. Pura	Chikmagalur	1116.19	13.3845	75.47033
36	Kesavinamane	Entire Village	Shivamogga	Shivamogga	2973.82	13.5345	75.7349
37	Melinhuluvathi	Entire Village	Chikmagalur	Chikmagalur	2656.65	13.4795	75.7021
38	Kolagame	Entire Village	Chikmagalur	Chikmagalur	2374.55	13.4532	75.7342
39	Jagara	Entire Village	Chikmagalur	Chikmagalur	1092.16	13.4318	75.6649
40	Malagar	Entire Village	Chikmagalur	Chikmagalur	533.89	13.4425	7118
41	Byaravalli	Entire Village	Chikmagalur	Chikmagalur	1572.37	13.712	75.6567
42	Siravase	Entire Village	Chikmagalur	Chikmagalur	2036.36	13.4040	75.6140
43	Sugadavani	Entire Village	Chikmagalur	Chikmagalur	2398.59	13.4412	75.5954
44	Bidare	Entire Village	Chikmagalur	Chikmagalur	2115.75	13.4136	75.5360
45	Bogase	Entire Village	Chikmagalur	Chikmagalur	675.31	13.3936	75.5827
46	Basapura	Entire Village	Chikmagalur	Chikmagalur	472.45	13.3784	75.5519
47	Shiragola	Entire Village	Chikmagalur	Chikmagalur	429.17	13.4455	75.5518
48	Kadavanthi	Entire Village	Chikmagalur	Chikmagalur	1563.04	13.3612	75.5711
49	Devadhana	Entire Village	Chikmagalur	Chikmagalur	950.27	13.3275	75.5327
50	Melugiri	Entire Village	Chikmagalur	Chikmagalur	237.33	13.5172	75.7920
51	Hipla	Entire Village	Chikmagalur	Shivamogga	298.51	13.5495	75.6256
52	Kallathipura	Entire Village	Tarikere	Chikmagalur	357	13.5436	75.7825
53	Lingapura	Entire Village	Shivamogga	Shivamogga	531	13.7496	75.5293
54	Attigiri	Entire Village	Chikmagalur	Chikmagalur	600	13.5067	75.7870
55	Dattathreya peeta	Entire Village	Chikmagalur	Chikmagalur	258.00	13.4722	75.7544
56	Pandaravalli	Entire Village	Chikmagalur	Chikmagalur	2188.00	13.4011	75.6913
57	Nandigave	Entire Village	Chikmagalur	N.R.Pura	977.00	13.5380	75.5988
				Total	48661.36		

*In the above tabular column Madhuguni, Shiragola, Bidare village area includes area of enclosures of protected area also.

* The land use pattern in these villages are mainly Human and Cattle dwelling units, Schools, Health Centre, Roads, Areable lands mainly under Agricultural and Horticultural crops.

B. The list of adjoining Notified Forests included in the Bhadra Wildlife Sanctuary (Tiger Reserve) Eco-Sensitive Zone are as follows.

Sl. No.	District	Name of the Reserved/Minor Forests	Division	Area in sq. km	Go. No./Notification No.& Date
1	Chikkamagaluru	Kusgal RF	Koppa	46.15	R 7131-FT-58-03-14, Dt. 11-12-1905
2	Chikkamagaluru	Kolale MF	Koppa	4.60	G 143202-Ft. 7-29-3, Dt. 08.05.1930
3	Chikkamagaluru	Alehalli MF	Koppa	1.37	G 143202-Ft. 7-29-3, Dt. 08.05.1930
4	Chikkamagaluru	Aduhalli MF	Koppa	2.99	(i) G-13604-Ft. 7-29-49 Dt. 29.10.1911
5	Chikkamagaluru	Devadana RF	Koppa	4.55	R 3373-FT-75-10-7, Dt 29.10.1911
6	Chikkamagaluru	Madhuguni MF	Koppa	8.00	R 7131-FT-58-03-14, Dt. 11.12.1905
7	Chikkamagaluru	Saluru MF	Koppa	4.08	(i) G-13625-FT. 29-40 Dt. 20.05.1930
8	Chikkamagaluru	Tanigebail MF	Bhadravathi	4.73	G-2072-FT-7-29-53 Dt: 16.8.1930
9	Chikkamagaluru	Gurupura RF	Bhadravathi	5.40	(i) R 8969.72-Ft. 118.15.4/18.3.1916
10	Chikkamagaluru	Thimmapura RF	Bhadravathi	8.09	G739-FT-62-26-5, Dt.30.05.1997 S-429-32-Ft-62-26-4 Dt.30.05.1927
11	Chikkamagaluru	Nandibatlu MF	Bhadravathi	3.60	GOG-5795-Ft. 33-39-61 Dt: 01.12.1930
12	Chikkamagaluru	Masakali RF	Chikkamagaluru	22.83	AG2257-FT 38-44-2, Dt: 22.11.1944
13	Chikkamagaluru	Suguduvani	Chikkamagaluru	2.15	Sec 4, AHFF-21-FAF-93, Dt. 08.09.1993
14	Chikkamagaluru	Kundur MF	Bhadravathi	11.89	(i) G-5780-FT-33-30-56, Dt. 01.12 1930
15	Shivamogga	Tammadihalli RF	Bhadravathi	8.05	(i) R-12431-Ft. 114-16- 4/27.03.1919 (ii) R-12427- 30-Ft.114-18- 4/4/27.03.1919
16	Shivamogga	Umblebyle RF	Bhadravathi	14.40	GR 5907-Ft85-6
17	Shivamogga	Kakanhosudi RF	Bhadravathi	9.06	No. R. 1971-Ft-166-099, Dt: 03-11-1909
18	Chikkamagaluru	Aramballi RF	Koppa	62.63	No. R-4087-Ft-29-05-5, Dt. 25-09-1905
19	Chikkamagaluru	Tyagadabhangi RF	Bhadravathi	20.14	No. R-407-Ft F39-95, Dt:31-12-1900

20	Chikkamagaluru	Kodihalli MF	Koppa	1.57	G-131-71-Ft-7-29-27 Dt: 08-05-1930
21	Chikkamagaluru	Basavanakote RF	Koppa	7.57	No. 931-10403 Dt: 19-06-1904
			Total	253.85	

Extent of Bhadra Wildlife Sanctuary (Tiger Reserve)

Eco-Sensitive Zone

Abstract	
RE/MF within Eco-Sensitive Zone.	25385.00 ha
Chikkamagaluru, N.R. Pura, Tarikere, Bhadravathi, Shivamogga Taluk villages within Eco-Sensitive Zone.	48661.36 ha

Annexure-IV

Proforma of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of **meetings**.
2. Minutes of the meetings: **mention** main noteworthy points. Attach **minutes** of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal **Master** Plan including Tourism **Master** Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record. Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases **scrutinised** for activities covered under Environment Impact Assessment **notification**, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of case **scrutinised** for activities not covered under Environment Impact Assessment **notification**, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged under **section** 19 of Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.